COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

# न्यायालय अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R.1170-I-17

प्र.क्र. /16

रवि जैन पुत्र श्री ताराचंद जैन निवासी एस. जी.एस. कॉलेज के सामने, गंज बासौदा
......अपीलाण्ट

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व गंज बासौदा, जिला विदिशा
......रिस्पोडेण्ट

श्री कुवर सिंह कुशवाह अभि० द्वारा आज दि. 17-4-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 17-4-17

**<u>रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता 1959</u>**
**अपील व नाराजगी आदेश दिनांक 28.2.2017 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा प्र. क्र. 3 अपील 16-17 शासन बनाम रवि जैन**

माननीय महोदय,

रिवीजन प्रार्थी निम्न प्रकार पेश है :-

-: प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि अधिनस्थ एसडीओ न्यायालय में तहसीलदार बासौदा द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम टीकोद तहसील बासौदा स्थित शासकीय आ. क्र. 150 रकवा 3.167 हे. भूमि में अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से 500 ट्राली रेत का उत्खनन कर भण्डारण किया है जिसे जप्त किया जाकर प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया।

2. यह कि एसडीओ न्यायालय ने प्रार्थी को कारण बाताओ नोटिस जारी करने पर प्रार्थी द्वारा का जबाब दिनांक 10.8.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी ग्राम टीकोद द्वारा दिनांक 14.7.2016 को बनाया गया पंचनामा व की गई कार्यवाही फर्जी एवं बनावटी है। जप्त की गई रेत का मालिक अपीलार्थी नहीं है। बगैर प्रार्थी के मौके पर मौजूदगी के बनाया गया पंचनामा वनावटी है। अपीलार्थी झूठा मामला बनाया है। जो निरस्त किया जावे।

3. यह कि एसडीओ न्यायालय द्वारा बगैर शासन की ओर से किसी भी साक्षी के कथन कराये एवं बगैर कथन उपरांत प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना मनमाने ढंग से विधि के सिद्धांतों के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 22.8.2016 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है। जिससे दुःखित होकर प्रार्थी द्वारा माननीय अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील प्रस्तुत की ।

4. यह कि अपील के साथ धारा 52 का आवेदन प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन स्थगन रखे जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का उक्त आवेदन निरस्त किया जिसके विरूद्ध रिवीजन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

कुवरसिंह कुशवाह (2234/ म०)
17/4/17

cont....

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1170-एक/17 **जिला** - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 03.07.2018 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष लगभग 10 दिन के विलंब से अपील पेश की गई। जिस पर कार्यवाही के दौरान अपर कलेक्टर द्वारा विलंब क्षमा किया जाकर अपील ग्राहय करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण अपर कलेक्टर के समक्ष अभी गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य ना होने से अग्राहय की जाती है।<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |